1/6/18 पत्रावली नस्ती आदेश

पेश हुई प्रस्तुत पत्रावली का अध्ययन किया। प्रस्तुत पत्रावली में वादी द्वारा वाद पत्र में आवासी भूखण्ड/भूखण्ड, 100 वर्ग गज संख्या 128 वर्ग गज निर्माण बिना किये ही वादी को दिनांक 24/6/2000 को पाँच वर्ष की अवधि के लिए आवंटन आदेश हुआ। जिसकी वादी के पक्ष में आवंटन निरस्त नहीं प्रदान की गई।

इससे पत्रावली का ध्यान है कि आवंटन न मिलने किस सामग्री राजस्थान सरकार आदि के दस्तावेज लगाकर के प्राप्त रचना का भी अन्य कोई विषय जिसके संबंध है वे वादी आवासी राजस्व विभाग धन राशि दी जिसकी वादी को वापसी किया गया अधिकृत ही दिया है अब धन का वह वापिस किया जाता है पत्रावली को नस्ती होकर अभिलेख कार्य कर 'वाद' वर्गीकृत अधिकृत कर दिया।

अधिकारी
जिला सीकर (राज.)